

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

307
कमांक /आर.201/2008/चार/ब-1 भोपाल दिनांक 21/4/2008
प्रति,

प्रमुख सचिव/सचिव
शासन के समस्त विभाग
मध्य प्रदेश भोपाल


विषय:- नई सेवा/ सेवा का नया साधन की वित्तीय सीमा का निर्धारण ।

संदर्भ:-(i) इस विभाग के परिपत्र कमांक 216/ चार/ ब-1/1995 दिनांक 10-3-1995
(ii) कमांक/1128/ 1480/चार/ब-1/ 1998 दिनांक 19 अगस्त, 1998

विषयांकित संदर्भित परिपत्रों द्वारा राज्य लोक लेखा समिति के अनुमोदन से नई सेवा/सेवा का नया साधन के रूप में नई वित्तीय सीमाएं निर्धारित की गई थीं राज्य शासन द्वारा राज्य लोक लेखा समिति के अनुमोदन से परिपत्र कमांक (ii) से कण्डिका 10 कार्य में रूपये 10.00 लाख के स्थान पर रूपये 25 लाख की निर्धारित वित्तीय सीमा को एतद् द्वारा संशोधित करते हुए कार्य विभागों (यथा लोक निर्माण/जल संसाधन/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग आदि) की नवीन मद की वित्तीय सीमा को रूपये 25 लाख के स्थान पर रूपये 1.00 (एक) करोड़ की सीमा निर्धारित करता है । परिपत्र की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा ।


मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार


(अदिति कुमार त्रिपाठी)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ. क्रमांक ३०४ / आर. 201 / 2008 / चार / ब-1 भोपाल दिनांक 21 / 4 / 2008 ..2..

- 1- राज्यपाल, मध्य प्रदेश के सचिव राजभवन भोपाल.
- 2- सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा, (लोक लेखा समिति)भोपाल.
- 3- निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश जबलपुर.
- 4- सचिव मुख्य मंत्री सचिवालय, भोपाल.
- 5- सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर.
- 6- सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल.
- 7- आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश भोपाल.
- 8- समस्त संभागीय आयुक्त,
- 9- समस्त विभागाध्यक्ष
- 10- समस्त जिलाध्यक्ष.
- 11- महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश भोपाल / इन्दौर / ग्वालियर
- 12- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी / आडिट) 1 / 2 मध्य प्रदेश ग्वालियर / भोपाल
- 13- आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल
- 14- मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग